

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा संख्या
251/19

रजू दिनांक
08.08.2019

पर्चा डिक्री दिनांक
04.11.2020

उनवान

1 सरदार सिंह पुत्र श्री शंकर जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र कन्हैया जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 (मृतक) —
 - 1/1 रामानन्द
 - 1/2 कृष्ण पुत्रान अमरसिंह जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कला तहसील मुण्डावर
 - 1/3 चमेली
 - 1/4 सन्तोष
 - 1/5 वेदकला
 - 1/6 कृष्णा पुत्रीयान अमरसिंह जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 88, 89 व 188 राज0 कास्त0 अधि0 1955

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री बस्तीराम यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री रणवीरसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 04.11.2020 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“ उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के वाद को स्वीकार पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 676/0.33, 677/0.18 है0 वाके ग्राम मुण्डनवाडा कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी अमर सिंह के नाम के हो रहे रहन के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.11.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

२५ ११.११.२०२०
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0